अनुदान संख्या 4 – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

GRANT No. 4 - MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2122,08,00	2322,10,00	2291,98,33	-30,11,67
पूरक	Supplementary	200,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				28,21,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹3011.67 लाख) सितंबर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹20002.00 लाख के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹3011.67 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹20002.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	4100.00			
पु.	R.	-770.00	3330.00	3319.84	-10.16

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	136108.00			
पू.	S.	19001.00	186806.52	186627.00	-179.52
पु.	R.	31697.52			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10300.00			
पू.	S.	1001.00	..	..	..
पु.	R.	-11301.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	60800.00			
			36918.09	36918.07	-0.02
पु.	R.	-23881.91			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	900.00			
			2333.48	2333.42	-0.06
पु.	R.	1433.48			

(I) ₹12716.00 लाख का प्रावधान (₹1001.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹11351.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – अन्य पद्धतियां – आयुर्वेद पर कार्यक्रम – जीव विज्ञान समेकित स्वास्थ्य अनुसंधान" – ₹1300.00 लाख – स्कीम को अनुमोदन न मिलने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)" – ₹7100.00 लाख।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां – पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹2951.00 लाख (₹1001.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय" – ₹780.16 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम छुट्टी यात्रा रियायत दावे प्राप्त होने, कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने तथा एमओएस (आईसी) कार्यालय के नवीकरण कार्य को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(I) Provision of ₹12716.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1001.00 lakhs) remained wholly unutilised under nine heads, of these ₹11351.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Other Systems - Programme on Ayurveda - Biology Integrative Health Research" - ₹1300.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)" - ₹7100.00 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research - Other Systems - North-Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - ₹2951.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1001.00 lakhs).

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy" - saving of ₹780.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to receipt of less Leave Travel Concession claims, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and non-materialisation of renovation of MOS (IC) office.

(III) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां”

(क) “निदेशन और प्रशासन – सूचना शिक्षा तथा संचार पर व्यय” – ₹2356.79 लाख की बचत (₹4450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड–19 महामारी के कारण कम विज्ञापन तथा प्रचार कार्यक्रम किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य पद्धतियां” –

(i) “राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड” – ₹1004.41 लाख की बचत (₹5900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अनुदानग्राही संस्थाओं से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा किफायती उपायों के कारण हुई।

(ii) “राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹1179.37 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण व्यवहार्य प्रस्ताव न मिलने और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान” –

(क) “आयुर्वेद – केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹2728.26 लाख की बचत (₹27780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicine” -

(a) “Direction and Administration - Expenditure on Information, Education and Communication” - saving of ₹2356.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs) was due to requirement of less funds for International Yoga day and less advertising and publicity events owing to COVID-19 pandemic.

(b) “Other Systems” -

(i) “National Medicinal Plants Board” - saving of ₹1004.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5900.00 lakhs) was due to receipt of less proposal from grantee institutions owing to COVID-19 pandemic and economy measures.

(ii) “National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹1179.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals owing to COVID-19 pandemic and non-receipt of utilisation certificates from few States/Union Territory Governments.

(B) “Medical Education, Training and Research” -

(a) “Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences” - saving of ₹2728.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27780.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and availability of unspent balances of previous year.

(ख) "होम्योपैथी – केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹600.00 लाख की बचत (₹13450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य पद्धतियां – चैम्पियन सेवा सेक्टर स्कीम" – ₹867.31 लाख की बचत (₹2120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुष ग्रिड की स्थापना में विलंब होने, कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण बैठकों/प्रदर्शनियों का कम आयोजन होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीम" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)" – ₹23281.93 लाख की बचत (₹52300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)" – ₹600.00 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1030.47 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 59 प्रतिशत से 83 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹41950.78 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2210" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹19002.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय

(b) "Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13450.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(c) "Other Systems - Champion Services Sector Scheme" - saving of ₹867.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2120.00 lakhs) was due to delay in establishment of AYUSH grid, less tours undertaken, less conduction of meetings/exhibitions owing to COVID-19 pandemic and availability of unspent balances of previous year.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Scheme" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹23281.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52300.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from State and non-finalisation of State Annual Action Plan by some State Governments owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Tribal Area Sub-Plan - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from States.

(V) Under three heads savings of ₹1030.47 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 59 percent to 83 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹41950.78 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹19002.00

संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" —

(क) "निदेशन और प्रशासन" —

(i) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन" — ₹1799.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1886.27 लाख था।

(ii) "भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच)" — ₹572.35 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹568.59 लाख था।

(ख) "आयुर्वेद — अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली" — ₹16529.00 लाख।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" —

(क) "होम्योपैथी — राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान" — ₹1655.43 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1655.00 लाख था।

(ख) "यूनानी" —

(i) "राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलौर को अनुदान" — ₹8425.00 लाख।

(ii) "केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" — ₹855.00 लाख।

(ग) "सिद्ध — राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान" — ₹502.00 लाख।

(घ) "अन्य पद्धतियां" —

lakhs under Major Head "2210" - under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Promotion of International Cooperation" - ₹1799.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1886.27 lakhs.

(ii) "Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy (PCIM&H)" - ₹572.35 lakhs. Actual excess, however, was ₹568.59 lakhs.

(b) "Ayurveda - All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi" - ₹16529.00 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Homoeopathy - Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata" - ₹1655.43 lakhs. Actual excess, however, was ₹1655.00 lakhs.

(b) "Unani" -

(i) "Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore" - ₹8425.00 lakhs.

(ii) "Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - ₹855.00 lakhs.

(c) "Siddha - Grant to National Institute of Siddha, Chennai" - ₹502.00 lakhs.

(d) "Other Systems" -

(i) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹780.00 लाख।

(i) "Grants to Central Council for Research in Yoga & Naturopathy" - ₹780.00 lakhs.

(ii) "राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान" – ₹5129.00 लाख।

(ii) "Grants to National Institute of Naturopathy, Pune" - ₹5129.00 lakhs.

(iii) "आयुष शिक्षा/औषधि विकास और अनुसंधान/क्लीनीक रिसर्च/लोक चिकित्सा आदि में कार्यरत गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केन्द्रों को सहायता" – ₹1194.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1193.21 लाख था।

(iii) "Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-Governmental/Private Sector engaged in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine etc." - ₹1194.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1193.21 lakhs.

(iv) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹4510.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4509.45 लाख था।

(iv) "North-Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong" - ₹4510.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4509.45 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1433.42 लाख का अधिक व्यय (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान में तुलना में) नवनिर्मित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Scheme - Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)" - excess of ₹1433.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by newly created Union Territory Jammu and Kashmir for implementation of programmes.